NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-11-2024

विषय सूची

ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया

महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि

डार्क टूरिज्म (Dark Tourism)

भारत के +5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए कौशल और रोजगार पर समन्वित कार्रवाई: WB

न्यू मोइरे सुपरकंडक्टर (New Moiré Superconductor)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (Biomedical Waste Management)

संक्षिप्त समाचार

सिद्दी समुदाय (Siddi Community)

खेलो इंडिया योजना (Khelo India Scheme)

अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क (IPSN)

पंजाब में धान की खरीद पांच वर्ष के निचले स्तर पर

पंबन रेल ब्रिज (Pamban Rail Bridge)

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

K-4 बैलिस्टिक मिसाइल

ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया

समाचार में

- ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने एक कानून पारित किया है जो टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाता है यदि वे 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहते हैं।

क़ानून के बारे में

- **उद्देश्य:** युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के संभावित हानि, जैसे साइबरबुलिंग, व्यसन और हानिकारक सामग्री के संपर्क से बचाना।
- **सख्त प्रवर्तन:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आयु प्रतिबंध लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों का सामना करना पड़ सकता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने में चुनौतियाँ

- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** कानून गोपनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ताओं को सरकार द्वारा जारी पहचान का उपयोग करके अपनी उम्र सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **आयु सत्यापन की चुनौती:** इन प्रतिबंधों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आयु सत्यापन है।
- **धोखाधड़ी की संभावना:** विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रतिबंध से गुमनाम प्लेटफार्मों और वीपीएन का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करना मुश्किल हो जाएगा।
- **हानिकारक साइटों के संपर्क में आना:** यह अनजाने में युवाओं को डार्क वेब जैसे अधिक खतरनाक ऑनलाइन स्थानों की ओर प्रेरित कर सकता है। यह आगे चलकर साइबर अपराध जैसी और भी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

बच्चों पर सोशल मीडिया के व्यसन का प्रभाव

- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान की बढ़ती दर से जोड़ा गया है।
    - बच्चों को साइबरबुलिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कम आत्मसम्मान जैसे गंभीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं।
- **शारीरिक प्रभाव:** अत्यधिक स्क्रीन समय एक गतिहीन जीवन शैली को जन्म दे सकता है, जिससे मोटापा और आंखों पर तनाव एवं खराब मुद्रा जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
- **सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव:** FOMO (खो जाने का डर) और आमने-सामने संचार के विकास, वास्तविक जीवन के रिश्तों एवं सामाजिक कौशल के क्षरण में बाधा बन सकता है।

आगे की राह

- **सख्त आयु सत्यापन:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी चाहिए कि केवल न्यूनतम आयु आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपयोगकर्ता ही उनकी सेवाओं तक पहुंच सकें।
- **माता-पिता की सहमति:** प्लेटफ़ॉर्म को एक निश्चित आयु से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता हो सकती है।
- **डिजिटल साक्षरता शिक्षा:** युवाओं को प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के बारे में सिखाने के लिए स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना चाहिए।
- **प्लेटफ़ॉर्म-आधारित हस्तक्षेप जैसे समय सीमा:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उन सुविधाओं को लागू कर सकते हैं जो स्क्रीन समय को सीमित करते हैं, विशेषकर युवा उपयोगकर्ताओं के लिए।
    - प्लेटफ़ॉर्म हानिकारक सामग्री को फ़िल्टर करने और सकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देने के लिए एआई-संचालित टूल का उपयोग कर सकते हैं।
- **सरकारी नियम:** मजबूत डेटा गोपनीयता कानून उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा कर सकते हैं और डेटा उल्लंघनों को रोक सकते हैं।
    - सरकारें सख्त सामग्री मॉडरेशन मानकों को विकसित करने और लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कार्य कर सकती हैं।
- **डिजिटल डिटॉक्स शिविर:** डिजिटल डिटॉक्स को प्रोत्साहित करने और ऑफ़लाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिविरों का आयोजन।

Source: LM

महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि

सन्दर्भ

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है।

परिचय

- महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- यह संकेत करता है कि 2023-24 में स्नातकोत्तर और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त 39.6% महिलाएं कार्यरत हैं, जो 2017-18 में 34.5% से अधिक है।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 23.9% महिलाएं 2023-24 में कार्यबल का हिस्सा हैं, जबकि 2017-18 में यह 11.4 प्रतिशत थीं।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार हालिया रुझान

- निम्न स्तर की शिक्षा वाली वृद्ध महिलाएँ कार्यबल से बाहर हो रही हैं और उच्च स्तर की शिक्षा वाली युवा महिलाएँ इसमें प्रवेश कर रही हैं।

- वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि अनौपचारिक मजदूरी वाले कार्य में महिलाओं की संख्या घट रही है।
- कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी कम हो रही है। सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है।
- **प्रभाव:**
    - जैसे-जैसे वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या बढ़ती है, इसका उपार्जन में लिंग अंतर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अधिक महिलाओं के आकस्मिक मजदूरी कार्य छोड़ने से कम हो जाता है।
    - महिला कार्यबल में ये बदलाव देश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं।

महिलाओं की भागीदारी का महत्व

- विश्व में सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली जनसँख्या के साथ, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की कोशिश कर रहा है - जिसके 2030 तक लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है।
- भारत वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की ओर अग्रसर है।
- एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के लिए 8 प्रतिशत की GDP वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अगले पांच वर्ष महत्वपूर्ण हैं।
- उस विकास को सुनिश्चित करने के लिए, 2030 तक बनने वाले नए कार्यबल में आधे से अधिक की हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए।

चुनौतियां

- **वेतन अंतर:** बड़ी संख्या में कार्यबल में प्रवेश करने के बावजूद, महिलाओं को प्रायः महत्वपूर्ण लिंग वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है।
- **यौन उत्पीड़न:** कार्यस्थल पर, विशेषकर पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न का उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **अवैतनिक घरेलू कार्य:** भले ही महिलाएं कार्यबल में तेजी से भाग ले रही हैं, फिर भी वे खाना पकाने, सफाई और बच्चों की देखभाल जैसे अवैतनिक घरेलू श्रम की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाती हैं।
- **सहायक बुनियादी ढांचे की कमी:** बच्चों की देखभाल की सुविधाएं, लचीले कार्य के घंटे और घर से कार्य करने के विकल्प जैसे अपर्याप्त समर्थन बुनियादी ढांचे हैं जो कार्य और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने के भार को कम कर सकते हैं।
- **परिवार का विरोध:** परिवार प्रायः महिलाओं के कामकाजी होने के विचार का विरोध करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों या रूढ़िवादी घरों में।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** PMMY के तहत, महिलाएं छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए बिना संपार्श्विक के माइक्रो-क्रेडिट ऋण का लाभ उठा सकती हैं, जिससे महिलाओं को पूंजी तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** यह योजना लड़कियों के प्रति बदलते सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कार्य करती है।
    - यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** अधिनियम 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक करता है।
- **नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच (WEP):** यह मंच व्यवसाय में महिलाओं के लिए सलाह, नेटवर्किंग, फंडिंग और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायता समूह (SHGs) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):** NRLM, अपने SHGs घटक के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ऐसे समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो ऋण, उद्यमिता प्रशिक्षण और विपणन अवसरों तक पहुंच सकें।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना:** यह योजना कामकाजी माताओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की माताओं को, आस-पास के स्थानों में डेकेयर स्थापित करके सहायता प्रदान करती है जहाँ वे कार्य करते समय अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं।
- **मिशन शक्ति** 2021-2025 की अवधि के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा शुरू किया गया एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
    - इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाया जा सके।
- **विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने** 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों का समर्थन किया है।

आगे की राह

- इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री (FM) द्वारा की गई घोषणाओं के केंद्र में महिला नेतृत्व वाला विकास है।
    - वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 25 तक महिला कल्याण के लिए बजट आवंटन में 218.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में सामाजिक मानदंडों को बदलने से अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
- सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न को संबोधित करना और लचीले कार्य विकल्प प्रदान करने से महिलाओं को कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।

Source: PIB

डार्क टूरिज्म (Dark Tourism)

समाचार में

- यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच "डार्क टूरिज्म" में शामिल होने वाले पश्चिमी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।

डार्क टूरिज्म

- इसका तात्पर्य मृत्यु, त्रासदी, पीड़ा या असामान्य ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े स्थानों का दौरा करना है।
  - इन स्थलों में कब्रिस्तान, युद्धक्षेत्र, स्मारक, आपदा क्षेत्र और अपराध स्थल शामिल हैं।
- **प्रमुख डार्क पर्यटन स्थलों के उदाहरण: ऑशविट्ज़ एकाग्रता शिविर (पोलैंड):** प्रलय की याद।
  - **चेरनोबिल (यूक्रेन):** एक विनाशकारी परमाणु आपदा का स्थल।
  - **ग्राउंड ज़ीरो (न्यूयॉर्क):** 9/11 हमले के पीड़ितों के लिए स्मारक।
  - **हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क (जापान):** 1945 में परमाणु बमबारी के पीड़ितों की याद दिलाता है।
  - **जलियांवाला बाग (अमृतसर, पंजाब):** 1919 के दुखद नरसंहार का स्थल, जहां निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जलियांवाला बाग लचीलापन और बलिदान के लिए एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है।

लोकप्रियता के कारण

- **भावनात्मक जुड़ाव:** आगंतुक अतीत की त्रासदियों से प्रभावित लोगों के इतिहास और भावनाओं से गहराई से जुड़ना चाहते हैं।
- **जिज्ञासा और विशिष्टता:** डार्क टूरिज्म विशिष्ट पर्यटक आकर्षणों से अलग अद्वितीय, गैर-पारंपरिक अनुभव प्रदान करता है।
- **मृत्यु दर पर चिंतन:** यह जीवन, मृत्यु और ऐतिहासिक महत्व के बारे में आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है, "वास्तविकता की जांच" की पेशकश करता है।

सोशल मीडिया की भूमिका

- रुचि में वृद्धि: उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट, फ़ोटो और वीडियो डार्क टूरिज्म साइटों की दृश्यता बढ़ाते हैं।
- प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका: सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग सामग्री निर्माण के लिए इन साइटों पर जाते हैं, कभी-कभी सम्मानजनक जुड़ाव के बजाय सौंदर्यशास्त्र और व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- जिज्ञासा प्रेरित: सोशल मीडिया पर डार्क साइटों की दृश्य अपील दूसरों को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

नैतिक विचार

- डार्क टूरिज्म इतिहास और मानवीय अनुभव का पता लगाने का एक अनोखा एवं विचारोत्तेजक तरीका प्रदान करता है।

- पर्यटन नैतिकता के क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मानजनक जुड़ाव के महत्व पर बल देते हैं।
- इन साइटों पर सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संपर्क करना आवश्यक है, उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला शैक्षिक एवं भावनात्मक मूल्य गहरा हो सकता है।

निष्कर्ष

- डार्क टूरिज्म यात्रा की दुनिया में एक जटिल स्थान रखता है। यह लोगों को अतीत के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने और इतिहास के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने की अनुमति देता है। हालाँकि, इसमें नैतिक चुनौतियाँ भी हैं, विशेष रूप से सोशल मीडिया और सामग्री निर्माण के संदर्भ में, जहाँ इन साइटों की गंभीरता कभी-कभी दृश्यमान मनोरम छवियों की खोज से प्रभावित हो सकती है।
- जैसे-जैसे डार्क टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन स्थलों पर उस सम्मान और समझ के साथ जाएँ जिसके वे हकदार हैं।

Source :TH

भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए कौशल और रोजगार पर समन्वित कार्रवाई: WB

सन्दर्भ

- हाल ही में, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'जॉब्स एट योर डोरस्टेप(Jobs at Your Doorstep)' में भारत को अपने महत्वाकांक्षी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और रोजगार के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य

- 2024 तक, भारत की GDP लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे विश्व स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है।
- वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
    - यह अनुमान निरंतर सुधारों और युवा और गतिशील कार्यबल के साथ भारत को मिलने वाले जनसांख्यिकीय लाभ पर आधारित है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रोडमैप

- **आर्थिक सुधार:** एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST), इन्सॉल्वेन्सी और बैंककरप्सी संहिता (IBC) और कॉर्पोरेट कर दरों में कमी जैसे प्रमुख सुधार लागू किए गए हैं।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक:** वित्तीय समावेशन और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल लेनदेन और फिनटेक नवाचारों को बढ़ावा देना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए ₹10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।
- **ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु कार्रवाई पहल के माध्यम से सतत विकास पर बल देना।

- **रोजगार और कौशल:** एक सुदृढ़ रोजगार बाजार उपभोक्ता व्यय में वृद्धि करता है, जो बदले में मांग को बढ़ाता है और आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करता है
    - रोजगार यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के विभिन्न वर्गों में वितरित हों, असमानता कम हो और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिले।
    - एक अच्छी तरह से नियोजित कार्यबल उच्च उत्पादकता में योगदान देता है और नवाचार को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख चालक हैं।

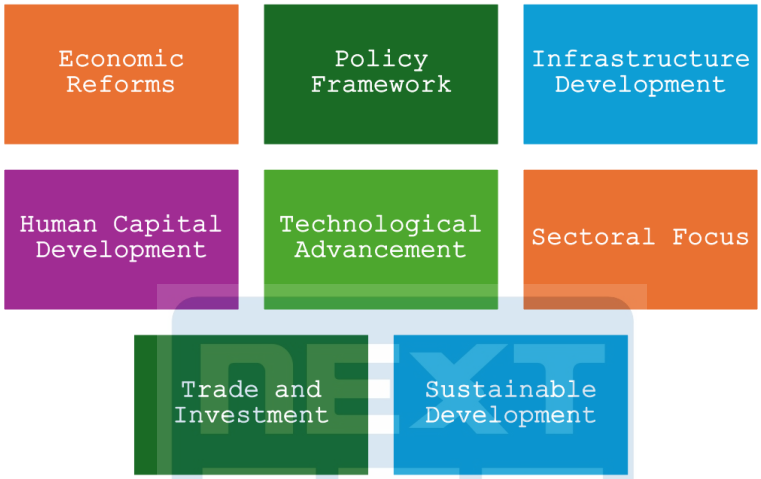

Fig.1: Vital Determinants of $5 Trillion Economy

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियाँ

- **राजकोषीय घाटा:** महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना।
- **रोजगार सृजन:** बढ़ते कार्यबल को समाहित करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित करना।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ:** भूराजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटना।
- **कौशल विभाग:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें योग्य प्रशिक्षक और अद्यतन प्रशिक्षण सामग्री शामिल है।
    - कौशल कार्यक्रमों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी के लिए सुलभ होना चाहिए।

$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल

- **आर्थिक सुधार:**
    - **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** जीएसटी के कार्यान्वयन ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है, जटिलता को कम किया है और अनुपालन में सुधार किया है।
    - **इन्सॉल्वेन्सी और बैंककरप्सी संहिता (IBC):** इस सुधार ने संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचे को मजबूत किया है, जिससे व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ है।
    - **कॉर्पोरेट कर में कटौती:** कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती ने भारत को निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास**

- **पूंजी निवेश परिव्यय:** केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए ₹10 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। पूंजीगत व्यय में इस पर्याप्त वृद्धि का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना और निजी निवेश को आकर्षित करना है।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP):** इस पहल का लक्ष्य 2025 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ₹111 लाख करोड़ का निवेश करना है, जिसमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक:**
  - **डिजिटल इंडिया:** यह पहल डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है और इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को समाप्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को डिजिटल कौशल और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
  - **फिनटेक नवाचार:** सरकार वित्तीय समावेशन और दक्षता को बढ़ाते हुए, फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण को बढ़ावा दे रही है।
- **ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई:**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ:** भारत 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है।
  - **जलवायु कार्रवाई:** सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) सहित विभिन्न जलवायु कार्रवाई पहलों के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:**
  - **विनिर्माण को बढ़ावा देना:** PLI योजना का लक्ष्य वृद्धिशील उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
  - **क्षेत्रीय फोकस:** यह योजना भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सहित 14 क्षेत्रों को कवर करती है।
- **मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया:**
  - **मेक इन इंडिया:** इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियों को देश के अंदर अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तन है।
  - **स्टार्ट-अप इंडिया:** यह कार्यक्रम स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और नियामक सहायता प्रदान करके उद्यमिता का समर्थन करता है।
  - **पीएम इंटर्नशिप योजना 2024:** इस योजना का लक्ष्य अपने पहले पांच वर्षों में एक करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना और उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

मुख्य सुझाव

- **कौशल अंतर को समाप्त करना:** कौशल अंतर को समाप्त करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण को बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि कार्यबल प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित है जो उद्योग की मांगों को पूरा करता है।

- **तकनीकी अनुकूलन:** जैसे-जैसे उद्योग तकनीकी प्रगति के साथ विकसित हो रहे हैं, कार्यबल को अनुकूलनीय और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए निरंतर कौशल एवं उन्नयन आवश्यक है।
- **रोजगार क्षमता में वृद्धि:** कौशल पहल से रोजगार क्षमता में सुधार होता है, जिससे व्यक्तियों के लिए रोजगार ढूंढना और उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों को ढूंढना आसान हो जाता है।
- **उद्योग सहयोग:** प्रभावी कौशल के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उद्योग की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सिखाए जा रहे कौशल बाजार की जरूरतों के अनुरूप हैं।
    - सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) जैसी पहल इस सहयोग को सुविधाजनक बनाती हैं।

निष्कर्ष

- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है लेकिन निरंतर प्रयासों और रणनीतिक योजना के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता है।
    - संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान इस लक्ष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

Source: LM

न्यू मोइरे सुपरकंडक्टर(New Moiré Superconductor)

समाचार में

- हाल की सफलताओं से पता चलता है कि सेमीकंडक्टर-आधारित मोइरे सामग्री, जैसे ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डिसेलेनाइड ($tWSe_2$), अतिचालकता प्रदर्शित करती है।

मोइरे पैटर्न और उनका प्रभाव

- **गठन:** एक मोइरे पैटर्न तब उत्पन्न होता है जब सामग्री की दो समान परतों को एक छोटे कोण पर ढेर और मोड़ दिया जाता है।
- **फ्लैट बैंड:** मोड़ के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बैंड चपटे हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के बीच ऊर्जा में भिन्नता कम हो जाती है। यह समतलता:
    - इलेक्ट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, जिससे वे "भारी" हो जाते हैं।
    - सुपरकंडक्टिविटी के लिए आवश्यक मजबूत इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन को प्रोत्साहित करता है।

सेमीकंडक्टर मोइरे सामग्री में अतिचालकता

- **$tWSe_2$ सुपरकंडक्टिविटी:** शोधकर्ताओं ने 3.65° ट्विस्ट के साथ ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डिसेलेनाइड का अध्ययन किया।
    - सुपरकंडक्टिविटी तब उभरी जब इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं लगभग -272.93 डिग्री सेल्सियस के महत्वपूर्ण तापमान के साथ आधी भरी हुई थीं।
    - सामग्री ने स्थिरता और सुसंगतता दिखाई, जिससे इसकी सुपरकंडक्टिंग स्थिति ग्राफीन-आधारित प्रणालियों की तुलना में मजबूत और कम नाजुक हो गई।

- **तंत्र:** $tWSe_2$ में, सुपरकंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन और हाफ-बैंड फिलिंग से उत्पन्न होती है, जो ग्राफीन के विपरीत है, जहां इलेक्ट्रॉन-जाली इंटरैक्शन प्रभुत्वशाली है।
- **इंसुलेटिंग अवस्था में संक्रमण:** सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बदलकर, $tWSe_2$ सुपरकंडक्टिंग और इंसुलेटिंग अवस्थाओं के बीच संक्रमण कर सकता है, जिससे इसकी ट्यूनेबिलिटी का पता चलता है।

सेमीकंडक्टर मोइरे सिस्टम के लाभ

- **स्थिरता:** ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डिसेलेनाइड ($tWSe_2$) पर अध्ययन अर्धचालकों में स्थिर सुपरकंडक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, जो क्वांटम सामग्री अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
- **सुसंगत लंबाई:** सामग्री की सुसंगत लंबाई (वह दूरी जिस पर अतिचालकता बनी रहती है) अन्य मोइरे सामग्रियों की तुलना में 10 गुना अधिक है, जो इसे और अधिक मजबूत बनाती है।
- **खोजपूर्ण क्षमता:** ट्यून करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक और सुपरकंडक्टिंग गुणों के साथ नई क्वांटम सामग्री को डिजाइन करने के लिए दरवाजे खोलें।

Source: TH

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन(Biomedical Waste Management)

सन्दर्भ

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का खराब प्रबंधन अभी भी जोखिम उत्पन्न करता है, विशेषकर संसाधन-सीमित सेटिंग्स में।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट

- यह मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार, या टीकाकरण, या संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न किसी भी अपशिष्ट को संदर्भित करता है।
- यह अपशिष्ट प्रायः संभावित संक्रामक सामग्रियों से दूषित होता है और अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट में शामिल हैं:
    - मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे ऊतक, अंग और शरीर के अंग;
    - पशु चिकित्सा अस्पतालों से अनुसंधान के दौरान उत्पन्न पशु अपशिष्ट;
    - सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट;
    - हाइपोडर्मिक सुई, सीरिंज, स्केलपेल और टूटे हुए कांच जैसे अपशिष्ट धारदार सामान;
    - छोड़ी गई दवाएं और साइटोटॉक्सिक दवाएं;
    - गंदे अपशिष्ट जैसे ड्रेसिंग, पट्टियाँ, प्लास्टर कास्ट, रक्त से दूषित सामग्री, ट्यूब और कैथेटर;
    - किसी भी संक्रमित क्षेत्र से तरल अपशिष्ट;
    - भस्मीकरण राख और अन्य रासायनिक अपशिष्ट।
- **चिंताएँ:**
    - जैव चिकित्सा अपशिष्ट विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों को वहन कर सकता है, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस, तपेदिक और अन्य संक्रामक रोगों का संचरण शामिल है।

- यदि उचित तरीके से निपटान नहीं किया गया तो यह पर्यावरण प्रदूषण में योगदान दे सकता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

- इसमें संग्रह, पृथक्करण, उपचार और निपटान शामिल है।
  - **ऑटोक्लेविंग:** भाप और दबाव का उपयोग करके अपशिष्ट को स्टरलाइज़ करना।
  - **भस्मीकरण:** अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाना।
  - **रासायनिक कीटाणुशोधन:** रोगजनकों को निष्प्रभावी करने के लिए रसायनों का उपयोग करना।
  - **भूमि निपटान:** उचित उपचार के बाद गैर-खतरनाक अपशिष्ट के लिए।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन

- भारत लगभग 700 टन प्रति दिन (TPD) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करता है और लगभग 640 TPD का उपचार किया जाता है।
- भारत की संयुक्त उपचार क्षमता 1,590 TPD है।
- अधिशेष क्षमता होने के बावजूद, 20 राज्य अभी भी निपटान के लिए कैप्टिव उपचार उपायों और गहरे गड्ढे में दफनाने का उपयोग कर रहे हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- यह स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य स्रोतों से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट (BMW) के प्रबंधन के लिए एक संबंधित ढांचा प्रदान करता है।

प्रमुख प्रावधान:

- **पृथक्करण और भंडारण:** BMW को उत्पादन के बिंदु पर विभिन्न श्रेणियों (उदाहरण के लिए, संक्रामक, खतरनाक, गैर-खतरनाक, आदि) में अलग किया जाना चाहिए।
  - अपशिष्ट को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार रंग-कोडित डिब्बे और कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- **जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणियाँ:** यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सात श्रेणियों को परिभाषित करता है (उदाहरण के लिए, मानव ऊतक, शार्प, छोड़ी गई दवाएं, शरीर के तरल पदार्थ और सूक्ष्मजीवविज्ञानी अपशिष्ट) और निपटान के लिए रंग कोडिंग निर्दिष्ट करता है:
  - पीला: संक्रामक अपशिष्ट (जैसे, दूषित वस्तुएँ, शरीर के अंग)।
  - लाल: दूषित प्लास्टिक वस्तुएँ।
  - नीला: कांच के बर्तन (जैसे, बोतलें, शीशियाँ)।
  - सफेद: नुकीले (उदाहरण के लिए, सुई, स्केलपेल)।
  - काला: सामान्य अपशिष्ट (जैसे, कागज, प्लास्टिक)।
- **उपचार और निपटान:** अपशिष्ट निपटान नियमों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है।

- **प्राधिकरण और रिकॉर्ड-कीपिंग:** सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
  - जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा, उपचार और निपटान का उचित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।
- **सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं (CBWTF) द्वारा अपशिष्ट निपटान:** स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान अपने जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उपचार और निपटान के लिए सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) में भेज सकते हैं।
- **मुख्य संशोधन (2021):** नियमों ने अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के अनुपालन के लिए एक विस्तारित समयरेखा पेश की।

आगे की राह

- भारत के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन बाजार के 7-8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है।
- यदि अंतराल और रिसाव का प्रबंधन नहीं किया गया तो उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा परेशानीपूर्ण होने की उम्मीद है।
- सभी SPCBs को रिसाव का अनुमान लगाने और अपने विवेक का उपयोग करने के लिए अंतराल विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ताकि नए CBWTFs का निर्माण किया जा सके और उनका परिचालन दायरा निर्धारित किया जा सके।
- उपयोगकर्ता से लेकर अधिभोगी और प्रोसेसर तक सभी हितधारकों को ट्रैक करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी पूर्वनिर्धारित रिसाव से बचा जा सके।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सिद्दी समुदाय(Siddi Community)

सन्दर्भ

- हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रिदम ऑफ दम्माम हाशिये पर पड़े सिद्दी समुदाय पर प्रकाश डालती है।

परिचय

- सिद्दी पूर्वी और मध्य अफ्रीका की बंटू जनसँख्या के वंशज हैं।
- यह जातीय समूह सदियों पहले दास व्यापार के माध्यम से भारत आया था।
- जनसंख्या मुख्य रूप से पांच राज्यों (गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना) में रहती है, लेकिन बहुमत (90%) गुजरात या कर्नाटक में रहती है।
- भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों में सिद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता दी है।

Source: IE

खेलो इंडिया योजना(Khelo India Scheme)

समाचार में

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया योजना के कार्यान्वयन पर राज्यसभा को अद्यतन जानकारी दी है।

खेलो इंडिया योजना के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण:** यह भारत में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से 2016-17 में शुरू की गई युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
  - खेलो इंडिया योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जा रही है।
  - इस योजना को संशोधित किया गया है और 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **उद्देश्य:** यह जमीनी स्तर के विकास, प्रतिभा की पहचान और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
- **मुख्य घटक:** स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-विषयक खेल प्रतियोगिता।
  - युवा एथलीटों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (KISCE)।
  - होनहार युवा एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

खेलो इंडिया का प्रभाव

- युवाओं में खेल भागीदारी में वृद्धि।
- प्रतिभा की पहचान और युवा प्रतिभा का पोषण
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास
- खेल संस्कृति को बढ़ावा देना

Source: PIB

अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN)

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क ने रोग के खतरों को समझने के लिए अनुदान के पहले दौर की घोषणा की।
  - यह रोग के खतरों को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया देने के लिए रोगज़नक़ जीनोमिक विश्लेषण की क्षमता निर्माण में निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN) के बारे में

- यह WHO हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य रोगज़नक़ जीनोमिक्स को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय लेने को बढ़ाना है।

- यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों जैसे रोगजनकों की आनुवंशिक सामग्री की निगरानी एवं विश्लेषण करने पर केंद्रित है ताकि उनके विकास, प्रसार को ट्रैक किया जा सके तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को सूचित किया जा सके।
- **महत्व:** यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जीनोमिक्स और निगरानी प्रणालियों में विशेषज्ञता वाले संगठनों को एक साथ लाता है, ताकि रोगज़नक़ जीनोमिक निगरानी में पहुंच, समानता और वैश्विक प्रयासों में सुधार किया जा सके, जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया था।

Source: TH

पंजाब में धान की खरीद पांच वर्ष के निचले स्तर पर

समाचार में

- चावल की खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्र होने के बावजूद पंजाब पिछले पांच वर्षों में सबसे कम धान खरीद का सामना कर रहा है।

धान की खेती के बारे में

- धान, जिसे चावल भी कहा जाता है, की खेती मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी एशिया में खड़े पानी वाले सिंचित खेतों में की जाती है।
- यह एक अर्ध-जलीय पौधा है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपता है लेकिन इसे उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। भारत में, धान की खेती लगभग पूरे वर्ष तीन मौसमों में की जाती है: ख़रीफ़, रबी और ज़ैद, जो कि खेती, जलवायु और पानी की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
- **धान की खेती के लिए शर्तें: वर्षा**: 750-1250 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
  - **तापमान:** आदर्श तापमान दिन के दौरान 30°C और रात में 20°C है, हालांकि यह थोड़े समय के लिए 40°C तक तापमान सहन कर सकता है।
- धान की खेती संभवतः 15वीं और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच शुरू हुई थी। हिमालयी क्षेत्रों में और इसे मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है।
  - चावल का उल्लेख यजुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।

पंजाब में स्थिति

- पंजाब भारत के खाद्यान्न पूल में एक प्रमुख योगदानकर्ता है और इसने अब तक केवल 172.16 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान खरीदा है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2024-25 सीज़न के लिए 185 LMT के लक्ष्य से कम है।
- इस कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं:
  - **खरीद में देरी:** चावल मिलों के साथ शुरुआती मुद्दों के कारण देरी हुई और कुछ मिल मालिकों ने धान का भंडारण करने से इनकार कर दिया, जिससे सुचारू खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई।
  - **नमी स्तर के मुद्दे:** कटाई में देरी के कारण, धान की नमी की मात्रा कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पैदावार कम हुई। किसानों को अधिक पैदावार की उम्मीद थी लेकिन प्रति एकड़ 5-6 क्विंटल तक हानि का सामना करना पड़ा।

- **अन्य राज्यों से धान में गिरावट:** गैर-MSP राज्यों से धान के परिवहन पर प्रतिबंध, जो सामान्यतः पंजाब की खरीद का पूरक है, ने कमी में और योगदान दिया।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** खरीद में देरी, कम पैदावार और नीतिगत बदलावों के संयोजन से खरीद में महत्वपूर्ण कमी आई, जिससे किसानों की कमाई एवं केंद्रीय अनाज पूल में पंजाब का योगदान प्रभावित हुआ।

- **प्रभाव:** इन संयुक्त चुनौतियों के कारण धान की खरीद में महत्वपूर्ण अंतर आ गया है, जिससे किसानों की कमाई और भारत की अनाज आपूर्ति में राज्य की भूमिका प्रभावित हुई है।
- **सुझाव:** खरीद एजेंसियों, परिवहन और भंडारण सुविधाओं के बीच समन्वय में सुधार करने, आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने एवं श्रम मांगों को संबोधित करने से खरीद प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि होगी।

Source:IE

पंबन रेल ब्रिज(Pamban Rail Bridge)

समाचार में

- रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने नए पंबन ब्रिज के निर्माण और डिजाइन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

मुद्दे

- CRS रिपोर्ट में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) मानकों का पालन न करना, तकनीकी सलाहकार समूह की कमी और संक्षारण संबंधी चिंताओं जैसी कई गंभीर खामियों को उजागर किया गया है।

न्यू पंबन ब्रिज के बारे में

- यह पुल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और मुख्य भूमि भारतीय शहर मंडपम को तमिलनाडु के तीर्थ द्वीप रामेश्वरम से जोड़ता है।
- मूल पंबन ब्रिज, 1913 में पूरा हुआ और 1914 में शुरू हुआ। नया पंबन ब्रिज एक अत्याधुनिक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जो जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है।
- यह पुल मुख्य भूमि को हिंदुओं के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, पवित्र द्वीप रामेश्वरम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

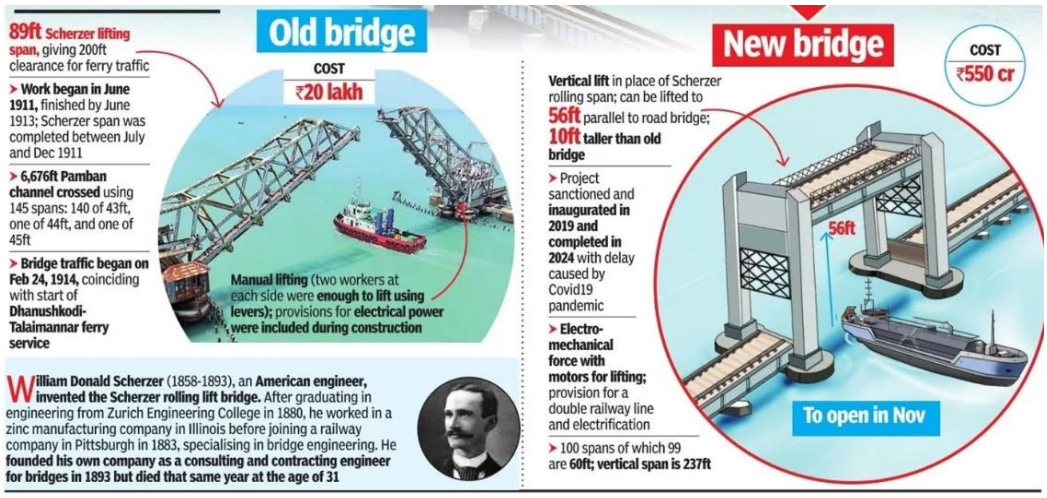

पंबन द्वीप

- **स्थान:** भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी में।
- **महत्व:** क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप।
- **वैकल्पिक नाम:** इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:** श्रृंखला का हिस्सा जिसमें एडम ब्रिज (राम सेतु) और मन्नार द्वीप शामिल हैं।
    - पंबन ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त(CRS)

- रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका कार्य देश में रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) के नेतृत्व में। नौ वृत्तों में विभाजित। यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को रिपोर्ट करता है, लेकिन रेल मंत्रालय से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- CRS को रेलवे अधिनियम 1989 में निर्धारित निरीक्षणात्मक, जांच और सलाहकार कार्यों का कार्य सौंपा गया है।
- CRS का अधिकार क्षेत्र पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क तक फैला हुआ है।

Source: TH

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

समाचार में

- एशियाई विकास बैंक (ADB) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसाटो कांडा को ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के बारे में

- **स्थापना:** 19 दिसंबर 1966 को
- **उद्देश्य:** यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थान है।
    - विकासशील सदस्य देशों में उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो आर्थिक वृद्धि और विकास प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- **फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:** गरीबी में कमी, बुनियादी ढांचे का विकास, क्षेत्रीय एकीकरण।
- **सदस्यता:** कुल 69 सदस्य (एशिया और प्रशांत से 49 और क्षेत्र के बाहर से 20 सहित)।
    - भारत एक संस्थापक सदस्य और इसके सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है।
- **शेयरधारक:** जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ADB में सबसे बड़े शेयर हैं, प्रत्येक के पास कुल सब्सक्राइब्ड पूंजी का लगभग 15.6% हिस्सा है।
    - ADB का संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो ADB के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वित्तपोषण के स्रोत:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में बांड जारी करना, सदस्य देशों से योगदान, ऋण पर ब्याज से आय, निवेश आय आदि जैसे स्रोतों का मिश्रण।

- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस.

Source: AIR

K-4 बैलिस्टिक मिसाइल

सन्दर्भ

- भारतीय नौसेना ने INS अरिघाट पनडुब्बी से K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे भारत की परमाणु निवारक क्षमताओं में वृद्धि हुई।

K-4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में

- **विकास:** K-4 या कलाम-4, जिसका कोड नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, DRDO द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है।
- **रेंज:** 3,500 किमी तक फैली हुई
- **परमाणु त्रय:** K-4 भारत के परमाणु त्रय के सबसे कमजोर चरण को मजबूत करेगा। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु गुरुत्वाकर्षण बमों वाले लड़ाकू विमानों के साथ भूमि एवं वायु वेक्टर अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हैं।

क्या आप जानते हैं?

- 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला K-5 विकासाधीन है, जो क्षेत्रीय और अंतरमहाद्वीपीय मारक क्षमता के बीच अंतर को समाप्त करने का वादा करता है।
- इसके साथ ही, हैदराबाद में DRDO की एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स यूनिट में MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल) क्षमता वाली 6,000 किलोमीटर की दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-6 को फील्ड करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

Source: TH

■■■■